Gyan Sky

ज्ञान हमेशा
बढ़ाते रहो

JOIN US TODAY!

WhatsApp

Telegram

Instagram

Gyansky.com

सेमी कंडक्टर लैबोरेटरी /Semi Conductor Laboratory
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Electronics & Information Technology, Govt. of India
सैक्टर-72, सा.अ.सि.नगर/ Sector 72, S.A.S. Nagar
पंजाब- 160071 (भारत)/Punjab-160071(India)
वेबसाइट /Website : www.scl.gov.in

विज्ञापन सं. एससीएलः02/2025 दिनांक: 27.01.2025

सहायकों की भर्ती

सेमी-कंडक्टर लोबोरेटरी (SCL) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी संस्था है जहां सहायक (प्रशासनिक सहायता स्टॉफ) के पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए प्रतिबद्ध और प्रेरित उम्मीदवारों की आवश्यकता है। पद के लिए पात्र एवं योग्य व्यक्तियों से निम्नलिखित विवरणानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैः

1. याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि	27.01.2025
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	26.02.2025, 11.59(अपराह्न)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय	28.02.2025, 11.59(अपराह्न)
लिखित परीक्षा के लिए संभावित महिना	मार्च 2025

2. रिक्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

पद	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण (ऊर्ध्वाधर)				आरक्षण (क्षैतिजीय)	
		अ.	आ.क.व.	अ.पि.व.	अजा/अजजा	बे.दि.(दिव्यांगताःदृष्टिहीनता/दृष्टिबाधिता)	भूपूसै
सहायक (7वें केंद्रीय वेतन आयोग का स्तर - 4 : 25,500 - 81,100/-)	25	11	02	06	06	01	01
अ. – अनारक्षित; आ.क.व. – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; अ.पि.व.– अन्य पिछड़ा वर्ग; अजा– अनुसूचित जाति, अजजा-अनुसूचित जनजाति, बे.दि.-बैंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्ति, भूपूसै-भूतपूर्व सैनिक							

नोट:-उपर्युक्त रिक्तियों में पिछले वर्षों की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां शामिल है।

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिंबित हो और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो।"

3. अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं:

3.1 मान्यता प्रप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक।

3.2 कंप्यूटर पर काम करने में प्रवीणता।

3.3 वांछनीय: किसी शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान/सरकारी कार्यालय में कार्य करने का अनुभव।

नोट 1: भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री /डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त है बशर्तें की उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार यदि ऐसी डिग्रियां उस प्रासांगिक अवधि के लिए मान्य नहीं है जब अभ्यर्थियों द्वारा उन्हें हासिल किया है, उन्हें शैक्षणिक योग्यता के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई ऐसी डिग्री /डिप्लोमा/प्रमाणपत्र रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासांगिक अवधि के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए अनुमोदन को भी प्रस्तुत करेंगे।

नोट 2: भारत के राजपत्र के भाग III (8)(V) के तहत् दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत् किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथैरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनमत्य नहीं है। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीआई एवं अन्य के मामले में, डब्लू.पी.(सी) सं. 382/2018 में एमए सं. 3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.03.2019 के आदेश के अनुपालन में इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में बी.टेक डिग्री/डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगा।

4. आरक्षण:

4.1 अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा।

5. **राष्ट्रीयताः** केवल भारतीय नागरिक आवेदन के पात्र है।

6. आवेदन शुल्क:

6.1 अनारक्षित/आ.क.व./अ.पि.व. अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹ 800/- + 18% जीएसटी सहित (यानि ₹944/-)

6.2 सभी महिलां अभ्यर्थी/ अनुसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) और बेंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्ति (बे.दि.) अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹400/- + 18% जीएसटी सहित (यानि ₹ 472/-)

नोट:-

अ) अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् तुरंत या **शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 28.02.2025 (11.59) अपराह्न** से पहले किसी भी दिन तक आवेदन शुल्क जमा कर सकता है। यद्यपि, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि लेन-देन में अप्रत्याशित विफलता/अन्य कारणों से बचने के लिए शीघ्रता से ऑनलाइन भुगतान करें।

आ) आवेदन शुल्क अप्रतिदेय होगा और उसे किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा।

इ) ऑनलाइन भुगतान करते समय अभ्यर्थी को भुतान गेटवे के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा।

ई) भुगतान प्रक्रिया के दौरान REFRESH अथवा BACK बटन पर क्लिक ना करें, अन्यथा सत्र समाप्त हो जाएगा।

उ) अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर भुगतान की स्थिति देख सकता है और रसीद का प्रिंट आउट ले सकता है। भुगतान का कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं होगा। ऑनलाइन भुगतान में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए अभ्यर्थी recruitment@scl.gov.in पर ई-मेल भेज सकता है।

ऊ) यद्यपि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के पश्चात्, अभ्यर्थी स्वयं के पंजीकरण की पुष्टि फॉर्म जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पंजीकरण संख्या, विज्ञापन संख्या और पद नाम है, भविष्य में संदर्भ के लिए एससीएल वेबसाइट से डाउनलोड और प्रिंट कर सकता है।

ए) अभ्यर्थी द्वारा डुप्लिकेट/एक से अधिक आवेदन जमा करवाने के मामले में, केवल आवेदन शुल्क के भुगतान के साथ पूरी तरह भरकर सफलतापूर्वक जमा करवाया गया अंतिम ऑनलाइन आवेदन को ही लिया जाएगा।

ऐ) एससीएल आवेदन शुल्क भुगतान के किसी भी अपूर्ण/लंबित/विफल लेन-देन के लिए जिम्मेदार नही होगा।

7. वेतन एवं भत्ते:

चयनित उम्मीदवार को सहायक के पद पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर-4 (25500-81100) के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हें न्यूनतम मूल वेतन ₹ 25,500/- प्रतिमाह का भुगतान जाएगा। इसके अलावा निर्धारित दरों के आधार पर क्रमशः महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता (जो लोग एससीएल आवासीय सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे है।) एवं परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारी **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)** द्वारा शासित होंगे। एससीएल में कार्यरत् होने पर अन्य सुविधाएं जैसे- स्वयं एवं आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, सब्सिडी कैंटीन सुविधा, अवकाश यात्रा रियायत, मकान निर्माण के लिए अग्रिम आदि केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार उपलब्ध है। वर्तमान नियुक्ति एससीएल सा.अ.सिं. नगर में है, लेकिन एससीएल (MeitY) आवश्यकतानुसार/जनहित में इसे देश के किसी भी स्थान पर स्थानांतरित करने का अधिकार रखता है।

8. आयु सीमाः (ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक)

अधिकत्तम आयुः 25 वर्ष

8.1 आयु में छूट का दावा करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार है:

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट
01	अजा/अजजा	5 वर्ष
02	अ.पि.व.	3 वर्ष
03	बे.दि. (अनारक्षित)	10वर्ष
04	बे.दि. (अ.पि.व.)	13 वर्ष
05	बे.दि. (अजा/अजजा)	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष।
07	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/अंतरिक्ष विभाग/डीआरडीओ /परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवारत् कर्मचारी	5 years
08	केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	40 वर्ष की आयु तक
09	केंद्र सरकार के कर्मचारी (अजा/अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	45 वर्ष की आयु तक

नोट:

अ) आवश्यक योग्यता और अनुभव के संबंध में आयु की गणना के साथ-साथ पात्रता शर्तों को पूरा करने की कटऑफ तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के विस्तार के मामले में भी अपरिवर्तित रहेगी।

आ) एससीएल द्वारा आयु के निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई वही जन्मतिथि स्वीकार की जाएगी जो मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है और बाद में इसमें कोई परिवर्तन किए जाने के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा।

इ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके केंद्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में नियमित आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं.36034/1/2014-स्था(पुन.) में यथा उल्लिखितानुसार वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते है यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा करता /करती है /वचन देता /वचन देती है।

ई) सशस्त्र सेनाओं में भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि में छूट में आयु प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

उ) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए।

ऊ) <u>**स्पष्टीकरण:**</u> भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से हैः

ऊ) (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो,

तथा

ऊ) (ii) जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात् अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवामुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या निर्मुक्त हुआ हो या छोड़ा गया हो;

या

ऊ) (iii) जिसे सैनिक सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्त्ता पेंशन दी गई हो ;

या

ऊ) (iv) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

या

ऊ) (v) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा पेंशनधारी भी शामिल है;

या

ऊ) (vi) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग है और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए है अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण अशक्त होकर चिकित्सा आधार पर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्त्ता पेंशन मिली हुई है;

या

ऊ) (vii) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

या

ऊ) (viii) प्रादेशिक प्रांतीय सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता;

या

ऊ) (ix) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार सेवा से मुक्त किया गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्त्ता पेंशन दी गई है।

ए) एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे समूह 'ग' पदों में भूपसै के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पात्र समझा जाएगा।

ऐ) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पूत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा छूट/भूतपूर्व सैनिक को दिया जाने वाला आरक्षण अनुमत्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्तियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

9. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

9.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों हेतु विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक है, उन्हें संबंधित मांगकर्ता विभागों/संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इन प्रमाणपत्रों के मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा/अजजा/अ.पि.व./आ.क.व./बे.दि./भूपूसै श्रेणी के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। दिव्यांगता (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

9.2 अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इस तरह के प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम है जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और इस संबंध में एससीएल की कोई जिम्मेदारी नहीं होग। इस संबंध में डाक फैक्स, ई-मेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर एससीएल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी X ने अपने आवेदन पत्र में अ.पि.व. भरा। तथापि एससीएल द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान, वह वैध अ.पि.व. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में, एससीएल द्वारा X की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

9.3 बेंचमार्क दिव्यांग (बें.दि अभ्यर्थी) ध्यान दें कि उन्हें आवेदन पत्र भरते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुसार उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता उप-श्रेणी अर्थात् अ.दि./श्र.दि./दृ.दि/बें.दि.- अन्य का चयन करना होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में , बेंचमार्क दिव्यांगता उप-श्रेणी में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय एससीएल द्वारा मांगे जाने पर आवेदन पक्ष में घोषित उप श्रेणी के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

यह ध्यान दिया जाए कि प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना संख्या38-16 / 2020-DD-III के अनुसार दिव्यांगता / दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे - ए.बा., ए.पै, दो.पै, बौ.,मा.रु., वि.अ.दि. आदि का) स्पश्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में भरी गई दिव्यांगता की उप श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वह इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इस संबंध में एससीएल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी रूप में, जैसे- डाक फैक्स, ई-मेल, दस्ती आदि से प्राप्त किसी भी शिकायत पर एससीएल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

9.4 अजा/अजजा/आ.क.व./बे.दि. स्थिति के दावे या किसी अन्य लाभ नामतः शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

9.5 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति /समुदाय का प्रमाणपत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नही आता/आती है।

9.6 अभ्यर्थी को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/आ.क.व./बे.दि./भूपूसै श्रेणी का दावा करते है या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो एससीएल द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा और उसके प्रति कार्रवाई की जा सकती है।

10. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायताः

10.1 दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित -दो बां.) और प्रमस्तिषिकीय से पीड़ित श्रेणी में न्यनतम मानदंड वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है।

10.2 बेंचमार्क दिव्यांगजनों को शेष श्रेणियों के मामले में, **अनुबंध-I** के आधार पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लेखन संबंधी शारीरिक सीमाएं है और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

10.3 एससीएल प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करने के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता वाले किसी भी पात्र अभ्यर्थी को प्रलिपिक प्रदान नहीं करेगा। अभ्यर्थी को अपने प्रलिपिक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी और प्रलिपिक की योग्यता सहायक के पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता से एक कदम कम होनी चाहिए और उसे परीक्षा की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले अनुबंध- II में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक का विवरण सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल), सा.अ.सिं. नगर 160071 में जमा करना होगा। सत्यापन करने की अनुमति देने के लिए प्रलिपिक को एससीएल का दौरा करने के बाद परीक्षा की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले अनुलग्नक-III में दिए गए प्रोफार्मा में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

10.4 ऐसे व्यक्तियों जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

10.5 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सहायता लेने के लिए योग्य है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

10.6 परीक्षा हॉल के अंदर पात्र अभ्यर्थियों के साथ प्रलिपिक के अलावा किसी अन्य परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.7 एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लैंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न पत्र पढ़ सकते है और आवर्धक लैंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते है; उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लैंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लैंस लाना होगा।

10.8 बेंचमार्क दिव्यांग/ दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक अथवा अतिरिक्त समय की सुविधा का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

11. आवेदन कैसे करें:

11.1 ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के लिए लिंक एससीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए दिनांक **27.01.2025 से 26.02.2025** के बीच एससीएल की वेबसाइट www.scl.gov.in/career.html पर जाएं।

11.2 पंजीकरण और आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदक को एक ऑन-लाइन पंजीकरण संख्या ई-मेल/एसएमएस द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ई-मेल पर प्रदान किया जाएगा जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए।

11.3 आवेदक को वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर आवेदन में अनिवार्यतः देना होगा। लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र एसएमएस/ई-मेल द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ई-मेल पर ही भेजा जाएगा और कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी।

11.4 आवेदन पत्र केवल ऑन-लाइन मोड में स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अभ्यर्थी का पूरा नाम, जन्मतिथि, वैध ईमेल आईडी और वैध मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। पंजीकरण करने पर, आवेदकों को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सावधानीपूर्वक रखा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो, हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे के निशान (सादे सफेद पृष्ठ पर) की स्कैन की गई प्रतियां 50 केबी तक की फ़ाइल आकार में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड करना आवश्यक है। अभ्यर्थी की फोटो परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो बिना टोपी और चश्मे के होनी चाहिए। चेहरे का सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए।

11.5 यद्यपि, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पूरा होना आवेदन शुल्क की प्राप्ति पर निर्भर है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, किसी भी अन्य बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह सत्यापित करने की सलाह दी जाती है कि आवेदन में दर्ज किए गए सभी विवरण सही हैं या नहीं।

11.6 अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को इसे सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधूरा/गलत आवेदन पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

11.7 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को आवेदन संख्या वाले आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए, जिसे भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भविष्य के सभी पत्राचार में संदर्भित किया जाना चाहिए।

11.8 कोई भी जानकारी न देने के कारण अभ्यर्थिता वापस लेने से भविष्य में भर्ती के लिए अभ्यर्थिता को आगे बढ़ाने या बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

11.9 पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही, विवरण में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी और आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरण को अंतिम माना जाएगा।

11.10 आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटोग्राफ दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप में फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन/अभ्यर्थिता अस्वीकार या रद्द कर दी जाएगी।

11.11 अपेक्षित प्रमाणपत्र ऑन-लाइन आवेदन भरते समय अपलोड किए जाने हैं।

आईएसओ 9001 प्रमाणित द्वारा जारी न्यूनतम 120 घंटे/03 महीने का कंप्यूटर प्रमाण पत्र, यद्यपि बीसीए, बी.एससी (आईटी), बी.टेक (कंप्यूटर विज्ञान) जैसे कंप्यूटर में स्नातक होने वाले अभ्यर्थी को अलग से कंप्यूटर प्रमाणपत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी; वह पद के लिए आवेदन करते समय कंप्यूटर प्रमाणपत्र के स्थान पर संबंधित डिग्री प्रमाणपत्र अपलोड कर सकता/सकती है।

नोट:

अ) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम दिनों में वेबसाइट पर भारी लोड के कारण एससीएल वेबसाइट पर लॉगिन करने में असमर्थता/विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

ब) एससीएल उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

स) ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को प्रीव्यू/प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।

12. <u>चयन प्रक्रिया</u>:

12.1 निर्धारित योग्यता *न्यूनतम* आवश्यकता है और केवल इसके होने से अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। **लिखित परीक्षा संभवतः मार्च, 2025 में दो स्थानों नई दिल्ली और चंडीगढ़/मोहाली/पंचकूला में आयोजित की जाएगी।** एससीएल उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। हालाँकि, संस्था के पास लिखित परीक्षा स्थल को रद्द करने /बदलने और उम्मीदवारों को किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर फिर से आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित है। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर, ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चयन के लिए विचार किया जाएगा। ऊपर दर्शाए गए पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का अंतिम चयन योग्यता मानदंडों और लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होगा।

12.2 बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा: दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंकों के बराबरी के मामले में निम्नलिखित के आधार पर बराबरी (टाई) का निपटान किया जाएगा।

12.2.1 भाग- ए में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर।
12.2.2 स्नातक में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर।

12.2.3 जन्मतिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।
12.2.4 वर्णानुक्रम जिसमें अभ्यर्थी का नाम आता है।

12.3 **एक सामन्य मेरिट सूची तैयार की जाएगी और अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के क्रम के आधार पर** नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए जाएंगे।

12.4 उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर, परीक्षा एक से अधिक पारियों में हो सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक पारियों में आयोजित की जाती है, तो एससीएल द्वारा फॉर्मूले के साथ **नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया** का **पालन किया जाएगा ताकि विभिन्न परीक्षा पारियों में अंकों को समायोजित किया जा सके और समान** अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। निम्नलिखित फॉर्मूला का उपयोग करते हुए अनेक पारी की परीक्षा में अभ्यर्थियों के अनंतिम अंकों की गणना की जाएगी।

$$\hat{M}_{ij} = \frac{\overline{M_t^g} - \overline{M_q^g}}{\overline{M_{ti}} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^{gm}$$

Where:

$\hat{M}_{ij}$ = Normalized marks of j^{th} candidate in the i^{th} shift.

$\overline{M_t^g}$= is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all shifts (number of candidates will be rounded-up).

M_q^g= is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the examination considering all shifts.

$\overline{M_{ti}}$= is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} shift (number of candidates will be rounded-up).

M_{iq}= is the sum of mean marks and standard deviation of the i^{th} shift.

M_{ij} = is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in the i^{th} shift.

M_q^{gm} = is the sum of mean marks of candidates in the shift having maximum mean and standard deviation of marks of candidates in the examination considering all shifts.

12.5 अंकों की गणना 5 दशमलव स्थानों तक की जाएगी।

13. लिखित परीक्षा की रूपरेखा:

भाग	अनुभाग	प्रश्नों की संख्या	अधिकत अंक	अनुमत्य समय
क	परिमाणात्मक अभिरूचि	20	40	2 घंटे (प्रलिपिक के पात्र अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे 40 मिनट)
	कंप्यूटर का बुनियादि ज्ञान	20		
ख	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क क्षमता	20	60	
	अंग्रेजी परिज्ञान	20		
	सामान्य जानकारी एवम् सामयिकी	20		

13.1) ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे, जिन्हें 2 भागों भाग क और भाग ख में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 5 खंड (प्रत्येक 20 अंक) यानी i) परिमाणात्मक अभिरूचि ii) कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान iii) सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क क्षमता iv) अंग्रेजी परिज्ञान v) सामान्य ज्ञान एवम् सामयिकी शामिल होंगे।

13.2) लिखित परीक्षा के 03 कार्य दिवसों के भीतर अस्थायी उत्तर कुंजी एससीएल वेब-साइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी एससीएल वेबसाइट पर उत्तर कुंजी प्रकाशित होने के 05 दिनों के भीतर यदि कोई आपत्ति हो तो, केवल उस लिंक के माध्यम से जो लिखित परीक्षा के बाद प्रदान किया जाएगा, 100/- रुपये प्रति प्रश्न, जो वापसी योग्य नहीं है, के भुगतान पर वैध औचित्य के साथ आपत्तियां उठा सकते हैं। उसके बाद और किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। केवल वैध आपत्तियों पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में एससीएल का निर्णय अंतिम होगा। अंतिम परिणाम तदनुसार घोषित किया जाएगा।

13.3) विज्ञापन में दर्शाया गया परीक्षा का महीना अस्थायी है। परीक्षा की तारीख में किसी भी बदलाव की सूचना अभ्यर्थियों को केवल एससीएल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी

13.4) परीक्षा के अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.5) अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंक प्रत्येक भाग में 40% और कुल मिलाकर 50% (भाग क + भाग ख) होंगे। अ.पि.व./आ.क.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को प्राप्त अंकों (व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से) में 5% की छूट दी जाएगी और अजा/अजजा श्रेणी के उम्मीदवारों को प्राप्त अंकों (व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से) में 10% की छूट दी जाएगी। सही उत्तर के लिए अंकन +1 होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंकन - 0.25 होगा। परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी, हालाँकि, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, उन बेंचमार्क दिव्यांगजन उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है, जो लिखने में अपनी शारीरिक कमी के कारण प्रलिपिक के उपयोग के लिए पात्र हैं और उनकी ओर

से परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक आवश्यक है चाहे वे प्रलिपिक का उपयोग करें या नहीं। अंग्रेजी परिज्ञान को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेट किए जाएंगे।

14. लिखित परीक्षा के लिए निर्देशात्मक पाठ्यक्रम:

14.1 परिमाणात्मक अभिरूचि: इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरों में पूर्णांक संख्याएं, अभिकलन, दशमलव, खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं सहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य, बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणीतीय ज्ञान, रेखीय समीकरण के ग्राफ, त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज, कोणीय बाहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समांतरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज, कोणीय सम पिरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरुप्यता, अनुपूरक कोण, ऊँचाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे।

14.2 कंप्यूटर का बुनियादि ज्ञान: कंप्यूटर की मूल बातें, नेटवर्क और इंटरनेट, कार्यालय उत्पादकता उपकरणों का उपयोग, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावरप्वाइंट इत्यादि।

14.3 सामान्य बुद्धिमता एवं तर्क शक्तिः इसमें शाब्दिक ऐर गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थनिक अभिविन्यास, यमस्या समाधान, विश्लेषण, अनुमान, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधि वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायसंगत तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें विषय हैः सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक श्रृंखला, अंक श्रृंखला, आंकडे संबंधी श्रृंखला, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संचालन, उपनति, अंतराल अभिविन्यास, अंतराल विज्यूलाइजेशन, वेन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंचड होल/पैटर्न फोल्डिंग व अनफोल्डिंग, अंकीय पैटर्न फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, रेंद्र कोड/अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/अंक, कोडिंग/डिकोडिंग का वर्गीकरण, अंतः स्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता आदि।

14.4 अंग्रेजी परिज्ञान: इसमें अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जांचा जाएगा।

14.5 सामान्य जानकारी एवम् सामयिकी: इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु

प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पडोसी देशों के संबंध में विशेशकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इस्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

15. **परीक्षा में प्रवेश:**

15.1 एससीएल लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु आदि को देखना होगा और खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे पद के लिए पात्र हैं। एससीएल द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि उन्हें एससीएल द्वारा मांगे जाने पर शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के अपने प्रमाण पत्र/दस्तावेज जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

15.2 लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र एससीएल की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से एससीएल वेबसाइट (यानी www.scl.gov.in/career.html) देखते रहें।

15.3 अभ्यर्थियों को एससीएल के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, अनुक्रमांक संख्या, पंजीकृत ई-मेल आईडी, अपने नाम के साथ -साथ अपना मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी भी मामले में स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी पर अपना ई-मेल recruitment@scl.gov.in पर भेज सकता है। किसी अन्य अंतरिम पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

15.4 लिखित परीक्षा के शहर के साथ प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा एससीएल की वेबसाइट पर परीक्षा से 7 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी। हालाँकि, परीक्षा केंद्र का पूरा पता एससीएल की वेबसाइट पर **परीक्षा से 2 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा**। अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट लाना होगा।

15.5 प्रवेश पत्र के अलावा, **कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जो कि प्रवेश पत्र में दी गई है,** लाना अनिवार्य है, जैसे:

15.5.1 आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट,

15.5.2 मतदाता पहचान पत्र,

15.5.3 ड्राइविंग लाइसेंस,

15.5.4 पैन कार्ड,

15.5.5 पासपोर्ट,

15.5.6 नियोक्ता जारी पहचान पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम),

15.5.7 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका,

15.5.8 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण पत्र।

15.6 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उस उम्मीदवार को अपनी जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र मेल नहीं खाते है तो अभ्यर्थीं को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.7 बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे उन्हें यथा उल्लिखित मेडिकल प्रमाणपत्र/वचन पत्र/ प्रलिपिक के फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.8 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी लेकर आयोगा।

15.9 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

16. दस्तावेज सत्यापन (डीवी) :

16.1 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों और उनकी छायाप्रतियों के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा।

16.2 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आवेदन करते समय हाल की दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र जैसा कि ऊपर पैरा 15.5 में सूचीबद्ध है, लाना होगा।

16.3 अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होगी:

16.3.1 मैट्रिक/ माध्यमिक प्रमाणपत्र।

16.3.2 स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता सहित शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र।

आईएसओ 9001 प्रमाणित द्वारा जारी न्यूनतम 120 घंटे/03 महीने का कंप्यूटर प्रमाणपत्र (बीसीए, बी.एससी (आईटी), बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) जैसे कंप्यूटर में स्नातक रखने वाले उम्मीदवार को अलग से कंप्यूटर प्रमाणपत्र लाने की आवश्यकता नहीं है, वह कंप्यूटर प्रमाणपत्र के स्थान पर संबंधित डिग्री प्रमाणपत्र ला सकता/सकती है।)

16.3.3 जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत है।

16.3.4 यदि आवश्यक हो तो आवश्यक प्रारूप में बेंचमार्क दिव्यांगजन प्रमाणपत्र

16.3.5 भूतपूर्व सैनिकों के लिए (भूपूसै)

16.3.5.1 यदि लागू हो तो **अनुबंध- IV** के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र देना।

16.3.5.2 **अनुबंध - V** के अनुसार वचनबद्धता।

16.3.5.3 सेवानिवृत्ति का प्रमाणपत्र, अगर सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त होते है।

16.3.6 प्रासंगिक प्रमाणपत्र यदि आयु में छूट की मांग करता है।

16.3.7 अनापत्ति प्रमाण पत्र: यदि पहले से ही केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत हैं तो संबंधित नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा करना होगा। एक उम्मीदवार, जो पद के लिए आवेदन करने के बाद रोजगार प्राप्त/बदल सकता है, उसे नियोक्ता को अपने आवेदन का विवरण सूचित करना होगा और मूल अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से एससीएल को जमा करना होगा।

16.3.8 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।

16.3.8.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति कानाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र।

16.3.8.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले मेः यथा-स्थिति, से पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/मृत्यु प्रमाणपत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति कानाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र।

16.3.8.3 महिलाओं के तलाक के मामले में:।तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के सामने विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र।

16.3.8.4 पुरूष और महिला दोनों को लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथ पत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

16.3.9 दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

16.4 दस्तावेजी सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि उससे पूर्व में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में प्रासांगिक प्रमाणपत्र जैसे कि स्नातक के सभी तीन वर्षों के अंकपत्र/अनंतिम प्रमाणपत्र/ मूल रूप में स्नातक की डिग्री प्रस्तुत करनी होंगे, इसमें विफल रहने पर एससीएल द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते है कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा। **यह पुनः बताया जाता है कि अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के परिणाम संस्तान/ विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाना चाहिए। संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण अंतिम तिथि से पहले महज परिणाम की प्रक्रिया शुरू करना ही आवश्यक शैक्षणिक योग्याता पूरा करना नहीं है।**

16.5 समकक्ष शैक्षणिक योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, एसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त संगत समकक्षता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय एससीएल द्वारा लिया जाएगा।

17. चयन का तरीका:

17.1. अजा, अजजा, अ.पि.व., आ.क.व., भूपूसै, बें.दि. श्रेणी के अभ्यर्थी मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते है तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष सामायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के

अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद हो। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अ.पि.व., आ.क.व., भूपूसै, बें.दि. श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

17.2. अजा, अजजा, अ.पि.व., आ.क.व., भूपूसै, बें.दि. श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परिक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किए जाएंगे न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुसंशित किया जा सकता है। जहाँ तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

17.3 बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है।

17.4 एससीएल यथावश्यक जांच के पश्चात् जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, जब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

17.5 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनंतिम होगा।लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जांच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते है तो परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

18. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई:

18.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं, तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और उन्हें सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एससीएल की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

18.2 एससीएल, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस/जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। एससीएल संबंधित अधिकारियों/फोरेंसिक विशेषज्ञों से मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

19. **एससीएल का निर्णय अंतिम:** पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीका, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केंद्रों के आवंटन, चयन आदि से संबंधित सभी मामलों में एससीएल का निर्णय अंतिम होगा और यह अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई भी पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

20. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद **सा. अ. सिं. नगर (मोहाली) और चंडीगढ़** के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधीन होगा।

21. **अयोग्यताएँ:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो,जिसका पति/पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति/पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, वह सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्यव्यक्ति के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, तो उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

22. <u>**अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:**</u>

1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
2. अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण एससीएल की वेबसाइट की विसंबंधता/लॉगिन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
3. एससीएल लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। शैक्षिक योग्यता और जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में सहायक प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय एससीएल द्वारा मांगी जाएंगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि एससीएल द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र/शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। प्रमाणपत्र/शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो उम्मीदवार की अम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
4. अजा, अजजा, अ.पि.व., आ.क.व., भूपूसै, बें.दि. के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र **(संलग्न अनुबंधों के अनुसार)** में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
5. जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा।

	अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए।
6.	शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के 02 दिन बाद होगी।
7.	अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले किसी भी मामले में, अभ्यर्थी को यह जांचना होगा कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में पोस्ट, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर एससीएल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
8.	अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम तथा माता का नाम ठीक वैसे ही लिखें जैसे उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दिया गया है। अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय एससीएल के ध्यान में जब कभी भी आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
9.	लघु/धुंधली फोटोग्राफ और/अथवा प्रारूप के अनुसार फोटो नहीं वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। इसी तरह लघु/धुंधले हस्ताक्षर और अंगूठो के निशान वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।
10.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो ऑनलाइन आवेदन में अपना सही तथा सक्रिय ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर दें क्योंति एससीएल द्वारा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है।
11.	एससीएल सक्षम प्राधिकारी से उचित प्राधिकरण के अधीन सत्यापन उद्देश्य के लिए अभ्यर्थियों के आधार डेटा का उपयोग कर सकता है।
12.	अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में दो पासपोर्ट आकार की फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी नियोक्ता द्वारा जारी पहचानपत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूपूसै की सेवानिवृत्ति पंजिका, केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा फोटो सहित परीक्षा केंद्रों के लिए जारी पहचान पत्र द्वारा मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि मुद्रित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपने जन्मतिथि के साक्ष्य में अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र (पैरा 15.6 के अनुसार) लाना चाहिए। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में लाने वाले फोटो पहचान पत्र/प्रमाणपत्र तथा प्रवेशपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि बेमेल होने के मामले में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेंचमार्क दिव्यांगजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें **यथा उल्लिखित** चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/ प्रलिपिक के फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी लानी होगी।
13.	किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़ंत आवेदन/पंजीकरण के मामले में, अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
14.	प्रवेश पत्र दो बार डाउनलोड किया जा सकता है, प्रारंभ में, परीक्षा केंद्र के पूरे पते के बिना और दूसरी बार यानी परीक्षा से 2 दिन पहले, परीक्षा केंद्र के पूरे पते के साथ।
15.	अभ्यर्थी को अपने स्नातक पाठ्यक्रम का नाम भी स्पष्ट रूप से बताना होगा जैसे-बी.ए. (ऑनर्स) कला स्नातक(ऑनर्स) के मामले में, बी.एससी. विज्ञान में स्नातक के लिए आदि।
16.	पद अस्थायी है, लेकिन जारी रहने की संभावना है।
17.	लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

18. दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है। यदि एससीएल ऐसा निर्णय लेता है तो उसके पास कुछ या सभी पदों को ना भरने का अधिकार सुरक्षित है।
19. किसी भी रूप में पत्राचार करने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।
20. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और इस विज्ञापन के साथ-साथ आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करता है। इसलिए, अभ्यर्थियों से आग्रह किया जाता है कि वे विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और आवेदन पत्र पूरा करें और इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार जमा करें।
21. अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन भरते समय सावधानी बरतने का अनुरोध किया जाता है और वे केवल वैध/वास्तविक जानकारी ही प्रदान करें जिन्हें वैध और उपयुक्त/निर्धारित दस्तावेजी प्रमाण द्वारा सत्यापित किया जा सके। ऑनलाइन आवेदन प्रारूप भरते समय दिए गए गलत इनपुट/गलत प्रविष्टियां देने पर चयन प्रक्रिया के दौरान/चयन के बाद अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
22. यह पद पूरी तरह से प्रशासनिक संवर्ग के लिए है और अभ्यर्थी एससीएल में तकनीकी संवर्ग पद पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।

- **आवेदकों को सलाह दीजाती है कि अपने आवेदन की स्थिति पर नवीनतम अद्यतन के लिए एससीएल की वेबसाइट www.scl.gov.in/career.html पर विजिट करते रहे।**
- **कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल एससीएल की वेबसाइट पर ही डाला जाएगा।**

अनुबंध-I

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ...., ग्राम/जिला/राज्य .... के निवासी हैं, जोकि ....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-II

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं .... (दिव्यांगता का स्वरूप) .... दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका...................... (जिले का नाम) .... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) .... में स्थित ....(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक .... है। मेरी शैक्षिक योग्यता .... है।

मैं सूचित करता/करती हूं कि .... (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता .... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

प्रलिपिक/लेखक द्वारा घोषणा

मैं_______________________पुत्र, पत्नी, पुत्री _______________________ निवासी ____, पहचान संख्या_______________________, वेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार श्री/श्रीमती/सुश्री _______________________ पुत्र, पत्नी, पुत्री_______________________के _______________पद के लिए परीक्षा, आवेदन पंजीकरण संख्या _______________________ के साथ प्रलिपिक के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुआ/हुई हूं। मैं घोषणा करता/करती हूं कि दिनांक _______________ तक मेरी शैक्षणिक योग्यता है (बॉक्स पर निशान लगाएं) :

मैट्रिक से नीचे	मैट्रिक	10+2	स्नातक	परा स्नातक

यदि उपरोक्त घोषणा झूठी पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को होने वाले परिणामों और हानि के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार होऊंगा।

स्व-सत्यापित होने के लिए प्रलिपिक की हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाने के लिए जगह

प्रलिपिक के हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन

नाम_______________________

तिथि_______________________

मुहर_______________________

<u>अनुबंध- IV</u>

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) ____________ (रैंक)_____________ (नाम)______________________ (दिनांक)____________ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय की मुहर

स्थानः

दिनांकः

अनुबंध-V

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं ...., अनुक्रमांक..............................

....परीक्षा, 20   के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों कोअनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) मेंभूतपूर्व-सैनिकों कोपुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ....को .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ....को .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एततद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझी जाएगी ।

हस्ताक्षर: ....
नाम: ....
अनुक्रमांक: ....
दिनांक: ....
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: ....
कार्यमुक्ति की तिथि: ....
अंतिम यूनिट / कोर: ....
मोबाइल नंबर: ....
ईमेल आईडी:......................

अनुबंध-VI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या मूल प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*_____________ पुत्र/पुत्री__________________ निवासी ग्राम/कस्बा* ____________ जिला/संभाग* ___________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _________ के _______________ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 ____________
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 ____________
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* ____________
संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* ____________

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 ________
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 ________

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996@

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007@

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ________ के माता/पिता श्री/श्रीमती ________ निवासी ________ ग्राम/कस्बा* ________ जिला/संभाग* ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ________ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ________ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो ________ दिनांक ________ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी ________ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*________जिला/संभाग* ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ________ में रहता है।

हस्ताक्षर...

**पदनाम......................................

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान _________

दिनांक.....................

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ________ सुपुत्र/सुपुत्री ________

ग्राम/कस्बा ________ जिला/संभाग ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ________ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं --------------- दिनांक ------* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कु० --------------- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः--------------- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के --------------- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं।यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश ....

उपायुक्त आदि....................................

दिनांक:

मुहरः

---

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या ____________ दिनांक _________________

वर्ष .... लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____________ स्थायी निवासी ___________________ गाँव/गली _____________ डाकघर ___________________ जिला ___________________ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ___________________ पिन कोड __________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ________________________ का संबंध ______________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.................................

नाम ....

पद..................................

आवेदक के हाल ही के पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो

* नोट 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

प्रपत्र-V

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---जन्म तिथि ------------------ (दि/म/व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में -------------- निदान किया गया है।

(ग) वे दिशानिर्देशों ------------- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने -------------- (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में ------------ %(अंकों में) ------------ % (शब्दों में) स्थायी गतिविषय दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध- X

प्रपत्र-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी--------------------------------- *सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री* --------- -----------------------------------*जन्म तिथि* ------------------ *(दि/म/व)* आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला- ------------ पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला - ------------ राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं किः-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक दिव्यांगता (%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			

15. मानसिक बीमारी
16. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी
17. मल्टीपल स्लेरोसिस
18. पार्किन्सन बीमारी
19. हेमोफिलिया
20. थेलेसेमिया
21. सिकल सेल डिसीज़

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में .... प्रतिशत

शब्दों में .... प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .... वर्ष ....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र .... (तारीख) .... (माह) ....(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ अर्थात बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

अर्थात एक आँख

£ अर्थात बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध- XI

प्रपत्र-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी--------------------------------- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---*जन्म तिथि* ------------------ *(दि/म/व)* आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ----------, जोकि मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे .... निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			

12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिसीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .... वर्ष ....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र .... (तारीख) .... (माह) ....(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ अर्थात बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

अर्थात एक आँख/दोनों आंखे

€ अर्थात बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)
{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है
जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है,
तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए
दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।